


तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री पोपटलाल पुत्र श्री ताराराम जी राणावत रावलों का बास बिजोवा, रानी, पाली बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रानी प्रथम सूचना अपील संख्या :- 77 / 2021 जीसीएमएस नं. :- 2021 / 265 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/1/22	<ol style="list-style-type: none"> 1. पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित । 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र दिनांक 20.07.2021 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रानी से चाही गई थी। परन्तु रेस्पोंडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोंडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रानी ने जरिये पत्रांक/सू.अ./2021/110 दिनांक 25.11.2021 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उनके द्वारा जरिये पत्रांक/सू.अ./2021/104 दिनांक 02.11.2021 उपलब्ध करवा दी गई है। तथा अपीलार्थी ने स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर शुल्क जमा करवाकर लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक/सू. अ./2021/69 दिनांक 13.08.2021 पर प्राप्ति रसीद देकर सूचना प्राप्त कर ली। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। 4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रानी द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है। तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है। 5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। 6. निर्णय आज दिनांक 28.01.2022 को लिखवाया जाकर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफतर हो। <p style="text-align: center;">  नमिता मेहता प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली </p>	